ए.

भारत सरकार और ओआरएस।

बनाम

सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. (2020 की सिविल अपील संख्या 987)

बी.

11 फरवरी, 2020

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन-स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980-गोवा स्वतंत्रता सेनानी कल्याण नियम, 1988-1961 में गोवा की मुक्ति के बाद, राज्य ने गोवा स्वतंत्रता सेनानी कल्याण नियम, 1988 बनाए-कई विचार-विमर्श के बाद, राज्य पेंशन के लिए 26.12.2007 पर 22 व्यक्तियों की एक सूची को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रत्यर्थी नं. 1 को भी शामिल किया गया-स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 को गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों के लिए उसमें निहित शर्तों में ढील देते हुए, चरण-II को सरकारी आदेश दिनांक 17.02.2003 द्वारा विस्तारित किया गया था-दिनांक 17.2.2003 की योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय पेंशन गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण के प्रतिभागियों को दी जानी है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 01.08.2002 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी गई है-राज्य पेंशन की प्राप्ति के बाद, प्रत्यर्थी संख्या। 1 ने भारत सरकार से एस. एस. एस. पी. योजना के अनुदान के लिए भारत सरकार को दिनांकित 06.08.2009 का एक अभ्यावेदन भेजा-भारत सरकार ने प्रत्यर्थी नं. 1 गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-II के लिए शिथिल मानदंडों के तहत एस. एस. एस. पी. योजना के अनुदान के लिए अयोग्य-प्रत्यर्थी सं. 1-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 1 को एस. एस. एस. पी. योजना के तहत पेंशन देने का निर्देश दिया। 1 डब्ल्यू. ई. एफ. 11.03.2008-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी नं. 1 ने तर्क दिया कि एस. एस. एस. पी. योजना का उद्देश्य उन सभी लोगों को केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था जो राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांकित 17.02.2003 योजना में बोधगम्य अंतर का अभाव है और उद्देश्य के साथ संबंध भी नहीं है-आयोजितःएस. एस. एस. पी. योजना का उद्देश्य उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था जो योजना के अनुसार योग्यताओं को पूरा करते हैं-रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से, यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार

ने कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और उक्त कट-ऑफ तिथि जानबूझकर निर्धारित की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

736 ए.

737

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर.

गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों को एस. एस. एस. पी. योजना का लाभ देना, चरण-II-यह योजना एक खुली योजना नहीं थी और किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दी गई थी, जिन्हें राज्य पेंशन प्राप्त थी-दिनांक 1 के आदेश द्वारा दी गई छूट को केंद्र सरकार का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है-एस. एस. एस. पी. के तहत उद्देश्य हमेशा और अभी भी उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना था जो एस. एस. एस. पी. योजना की पात्रता को पूरा करते हैं-प्रत्यर्थी का प्रस्तुत करना कि एस. एस. एस. पी. का उद्देश्य राज्य पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोगों को केंद्रीय पेंशन देना था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है-छूट देकर, सीमित श्रेणी के लिए एस. एस. एस. पी. योजना, मुख्य योजना का उद्देश्य खो नहीं जाएगा और न ही जो इसमें शामिल नहीं हैं। 1 एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के अनुदान के लिए।

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

डी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** अभिलेख पर लाई गई सामग्री से यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने आई**.** डी**. 1** तक की कट**-**ऑफ तिथि के मुद्दे पर विचार**-**विमर्श किया और गोवा मुक्ति आंदोलन**,** चरण**-2** के प्रतिभागियों को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना**, 1980** का लाभ देने के लिए उक्त कट**-**ऑफ तिथि जानबूझकर तय की गई थी। एस**.** एस**.** एस**.** पी**.**

योजना, **1980** के तहत पात्रता गोवा स्वतंत्रता सेनानी कल्याण नियम, **1988** के तहत राज्य पेंशन की पात्रता से पूरी तरह से अलग है।गोवा को **1961** में आजाद कराया गया था। राज्य ने शुरू में **1973** में और उसके बाद **1988** में नियम बनाए हैं।स्वतंत्रता सेनानियों को कम से कम **1973** के बाद उपरोक्त गोवा नियमों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।गोवा मुक्ति, चरण-**II** के प्रतिभागियों के लिए एस. एस. एस. पी. योजना के विस्तार के प्रश्न पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष **2000** से विचार किया जा रहा था और अंततः इसे योजना दिनांक **17.02.2003** द्वारा बढ़ाया गया था।**[**पैरा **23] [752-**बी-ई**]**

ई.

एफ.

जी.

2. एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** के तहत आवेदन करने की योग्यता प्रदान की।गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया गया था और जो लोग उसमें शर्तों को पूरा करते हैं, वे पेंशन देने के हकदार थे।वर्तमान मामले में, यह न्यायालय एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** से संबंधित है।इस योजना का उद्देश्य मंजूरी देना था

एच.

ए.

योजना, **1980** के तहत पेंशन, जो योजना के अनुसार पात्रताओं को पूरा करते हैं।राज्य पेंशन जिसके लिए गोवा राज्य सहित विभिन्न राज्यों द्वारा योजना और नियम बनाए गए हैं, अलग-अलग पात्रताओं पर थे और केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति पात्र है या राज्य पेंशन का हकदार है, वास्तव में उसे एसएसएसपी योजना, **1980** के लिए पात्र नहीं बनाता है।एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** का उद्देश्य उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था, जो उस पात्रता को पूरा करते हैं जिसे योजना के तहत गोवा मुक्ति आंदोलन को भी शामिल करने में स्पष्ट रूप से पूरा किया गया था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों, विशेष रूप से आंदोलन के दूसरे चरण **(1954-55)** में भाग लेने वालों के लिए एसएसएसपी योजना, **1980** का विस्तार करने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।केंद्र सरकार ने एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** के तहत पात्रता की शर्तों में ढील देने का फैसला किया और योजना में ढील देते हुए गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों को पात्र बनाने के लिए कट-ऑफ तिथि **(**आई. डी. **2)** तय की गई।यह न्यायालय पहले ही कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के तर्क पर ध्यान दे चुका है, जिसे उचित विचार-विमर्श और प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद तय किया गया था।**[**पैरा **25] [753** ए-एफ**]**

बी.

सी.

डी.

3. प्रत्यर्थी संख्या **1** का प्रस्तुतिकरण यह है कि कट-ऑफ तिथि **01.08.2002** निर्धारित करके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था।जैसा कि देखा गया है, एसएसएसपी योजना, **1980** का उद्देश्य उन लोगों को केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था जो उक्त योजना के तहत पात्र थे।गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को पहले से ही योजना, **1980** में शामिल किया गया था, जो उक्त योजना के अनुसार पात्र थे।इस प्रकार, गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में, योजना, **1980** ने उन्हें शामिल किया और इसका उद्देश्य केवल गोवा मुक्ति आंदोलन के उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान करना था, जिन्होंने एसएसएसपी योजना, **1980** की पात्रता को पूरा किया था।जब योजना में ढील दी गई और गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण के प्रतिभागियों के लिए विस्तार किया गया, तो एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** में इस शर्त के साथ पात्रता में छूट दी गई कि जो लोग **01.08.2002** द्वारा राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।यह योजना एक मुक्त योजना नहीं थी और एक विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दी गई थी, जिन्हें **01.08.2002** द्वारा राज्य पेंशन प्राप्त हो रही थी।**17.02.2003** दिनांकित आदेश द्वारा दी गई छूट को उद्देश्य **A** नहीं कहा जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

739

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर.

केंद्र सरकार की।एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** के तहत उद्देश्य हमेशा से और अभी भी उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करना है जो एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** की पात्रता को पूरा करते हैं।प्रत्यर्थी संख्या **1** का यह निवेदन कि एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** का उद्देश्य उन सभी को केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था, जिन्हें राज्य पेंशन की प्राप्ति हो रही है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** में एक सीमित श्रेणी के लिए ढील देने से मुख्य योजना का उद्देश्य समाप्त नहीं होगा और न ही जो लोग ढील की शर्तों के दायरे में नहीं आते हैं, वे एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** के अनुदान के अधिकार का दावा कर सकते हैं।इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि **17.02.2003**

दिनांकित योजना में बोधगम्य अंतर है और उद्देश्य के साथ संबंध भी है।जब एक सीमित श्रेणी को छूट दी जाती है, तो अन्य, जो योजना के दायरे में नहीं आते हैं, वे समानता के अधिकार के किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते हैं।समानता के अधिकार का दावा केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जो एस. एस. एस. पी. योजना, **1980** के तहत योग्यताओं को पूरा करते हैं।**[**पैरा **26] [753** एफ-एच; **754** ए-ई**]**

बी.

सी.

4. इस प्रकार, एस. एस. एस. पी. योजना के अनुदान के लिए प्रत्यर्थी संख्या **1** के दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं थी, जैसा कि दिनांक **16.11.2009** और **13.11.2014** के संचार पत्रों द्वारा सूचित किया गया था।सरकारी योजना दिनांक **17.02.2003** भी किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं थी।**[**पैरा **32] [756** डी-ई**]**

डी.

मुकुंद लाल भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ

ई.

और अन्य (1993) पूरक।3 एस. सी. सी 2:[1993] 3 एससीआर 891-प्रतिष्ठित।

संदर्भित निर्णय

[1993] 3 एससीआर **891**

प्रतिष्ठित

पैरा **29**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 987

2020.

2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 229 में गोवा, पणजी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.03.2017 के निर्णय और आदेश से।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, अक्षय अमृतांशु, सुश्री सुनीता शर्मा, सिद्धार्थ सिन्हा, प्रशांत रावत, ओम प्रकाश शुक्ला, शुभम शर्मा, बीवी बलराम दास, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

जी.

सुश्री मुग्धा पांडे, पल्लव मोंगिया, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, पी. एस. सुधीर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

740

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 3 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पणजी में दिनांक 20.03.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई है। रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर की गई थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ-साथ स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को खारिज करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी गई थी।

बी.

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः-

सी.

2.1.भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 शुरू की है।कुछ संशोधनों के साथ, योजना का नाम बदलकर स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 (इसके बाद "एसएसएसपी योजना, 1980" के रूप में संदर्भित) कर दिया गया।एसएसएसपी योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के लिए पात्रता की शर्तें थीं।न्यूनतम छह महीने के कारावास का सामना करने वाले स्वतंत्रता सेनानी इस योजना के लाभ के पात्र थे।भारत सरकार ने गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों के लिए एस. एस. एस. पी. योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया, जिन्होंने एस. एस. एस. पी. योजना के तहत पात्रता शर्तों को पूरा किया।प्रत्यर्थी ने 19.03.1982 पर एसएसएसपी योजना के अनुदान के लिए भारत सरकार को एक आवेदन दिया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि उनके मामले की राज्य द्वारा सिफारिश नहीं किए जाने के कारण वह एस. एस. एस. पेंशन के हकदार नहीं हैं।भारत सरकार को गोवा मुक्ति आंदोलन के सभी प्रतिभागियों, विशेष रूप से आंदोलन के दूसरे चरण (1954-55) में भाग लेने वालों को पेंशन देने के लिए विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।भारत सरकार ने एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के तहत गोवा

मुक्ति आंदोलन चरण-II (1954-55) के प्रतिभागियों को सरकारी आदेश दिनांक 17.02.2003 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का निर्णय लिया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.2.1961 में गोवा की स्वतंत्रता के बाद, गोवा राज्य ने शुरू में गोवा, दमन और दीव स्वतंत्रता सेनानी कल्याण नियम, 1973 बनाए हैं।1973 के नियमों के स्थान पर, राज्य ने ए को तैयार किया

एच.

741

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

गोवा स्वतंत्रता सेनानी कल्याण नियम, 1988।स्वतंत्रता सेनानियों को नियम 2 में परिभाषित किया गया था।

2.3.प्रत्यर्थी ने दिनांक 28.07.2001 के आवेदन द्वारा राज्य पेंशन के लिए आवेदन किया था।प्रत्यर्थी के आवेदन पर, गोवा सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी, जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 09.05.2002 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के रजिस्टर में नहीं है।सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन पर विचार किया गया और राज्य पेंशन के अनुदान के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को 18.12.2002 पर खारिज कर दिया गया।

बी.

सी.

2.4 प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II (1954-55) के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एसएसएसपी योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के लिए दिनांक 15.04.2003 पर एक आवेदन किया।गोवा राज्य ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांकित एक पत्र लिखा कि सम्मान पेंशन आदेश की प्रति उन्हें जारी नहीं की जा सकती क्योंकि उनके मामले को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूचित किया गया कि राज्य पेंशन के लिए उनका आवेदन आगे की कार्रवाई के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।राज्य पेंशन के अनुदान के

मामलों पर विचार करने के लिए गोवा राज्य द्वारा गठित समिति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले पर विचार किया और दिनांक 1 की कार्यवाही द्वारा दावे को अस्वीकार करने की राय दी। 2.5.2003 में स्वतंत्रता सेनानी योजना को फिर से खोलने के लिए गोवा राज्य की घोषणा के अनुसरण में, बड़ी संख्या में व्यक्तियों का दावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति को सौंपा गया था।कई विचार-विमर्श के बाद अंततः राज्य पेंशन के लिए 26.12.2007 पर 22 व्यक्तियों की एक सूची को मंजूरी दी गई जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को भी शामिल किया गया था।आई. डी. 3 पर, राज्य पेंशन के अनुदान के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम को मंजूरी दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप, राज्य पेंशन डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1 के अनुदान के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को आई. डी. 2 पर एक पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया था। राज्य पेंशन की प्राप्ति के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भारत सरकार से एस. एस. एस. पेंशन के अनुदान के लिए भारत सरकार को दिनांकित 06.08.2009 का एक अभ्यावेदन भेजा।भारत सरकार वीडियो

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आई. डी. 1 दिनांकित पत्र से प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूचित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को केवल 2008 में राज्य पेंशन दी गई है, इसलिए वह गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-2 के लिए शिथिल मानदंडों के तहत एस. एस. एस. पेंशन के अनुदान के लिए अयोग्य था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूचित किया गया कि जिन प्रतिभागियों को 01.08.2002 द्वारा राज्य पेंशन की प्राप्ति हुई थी, वे ही पात्र हैं।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक और अभ्यावेदन पर, फिर से भारत सरकार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांक 13.11.2014 को एक समान संचार भेजा गया था।

बी.

सी.

2.6.प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पणजी में बॉम्बे, गोवा के उच्च न्यायालय में 2016 की रिट याचिका संख्या 229 दायर की, जिसमें निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की गईः

"ए. घोषणा कि भारत सरकार का दिनांक 4/2/03 का निर्णय और दिनांक 17/2/03 की अधिसूचना इस हद तक गोवा मुक्ति आंदोलन चरण II के स्वतंत्रता सेनानी प्रतिभागियों को पेंशन के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, जो 1/08/2002 पर पेंशन की प्राप्ति कर रहे थे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इस घोषणा के लिए कि गोवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य सरकार की पेंशन की प्राप्ति के बावजूद, वे पेंशन के हकदार हैं।बी. स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II (1954-55) के तहत पेंशन देने के लिए याची के आवेदन पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देते हुए अनिवार्य की प्रकृति में लिखित आदेश।

डी.

ई.

एफ.

ग. सर्टिओरारी रिट के लिए, सर्टिओरारी या किसी अन्य रिट निर्देश की प्रकृति में एक रिट और गृह मंत्रालय द्वारा पारित दिनांक 16/11/09 और 13/11/2014 संचार को रद्द करना और अलग करना।"

जी.

2.7.अपीलार्थी रिट याचिका पर कोई जवाब दाखिल नहीं कर सका और न ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया।पक्षकारों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को ए के तहत पेंशन देने का निर्देश दिया।

एच.

743

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

प्रत्यर्थी संख्या 1 डब्ल्यू. ई. एफ. 11.03.2008 को एस. एस. एस. पी. योजना।उक्त निर्णय से व्यथित भारत सरकार ने यह अपील दायर की है।प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2, गोवा राज्य द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। भारत सरकार ने 02.12.2019 दिनांकित एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है।अपीलार्थी द्वारा एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है।

बी.

3. हमने सुना है कि अपीलार्थी के लिए ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए श्रीमती मुग्धा पांडे और गोवा राज्य के लिए श्री प्रताप वेणुगोपाल पेश हुए हैं।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-II के प्रतिभागियों के लिए, एस. एस. एस. पी. योजना को इस शर्त के साथ बढ़ाया गया था कि केवल वही आवेदक योजना के लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो 01.08.2002 पर राज्य पेंशन की प्राप्ति में हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि तिथि निर्धारित करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था और योजना में जानबूझकर शामिल किया गया था जो अतिरिक्त हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाए गए प्रासंगिक नोट से स्पष्ट है।

सी.

डी.

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को केवल 11.03.2008 पर राज्य पेंशन दी गई है और उसने उस योजना की शर्त को पूरा नहीं किया है जिसे सरकारी आदेश दिनांक 17.02.2003 द्वारा शुरू किया गया था।भारत सरकार ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की।उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की है कि कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 की कोई प्रासंगिकता नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की रिट याचिका को अनुमति देने में त्रुटि की, जिसने एस. एस. एस. पी. योजना के अनुदान के लिए पात्रता को पूरा नहीं किया।

ई.

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश वकील सुश्री मुग्धा पांडे ने अपीलार्थी की ओर से वकील के प्रस्तुत करने का जोरदार खंडन करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 1984 में स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र जारी किया गया था और उन्होंने 28.07.2001 पर राज्य पेंशन देने के लिए आवेदन किया था, जिसे हालांकि दिसंबर 2002 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य ने स्वयं पेंशन W. E. F. <ID2. प्रदान की थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 SSS पेंशन देने के लिए पात्र है।

एफ.

जी.

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-II के प्रतिभागियों को एस. एस. एस. पेंशन देने के लिए कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 तय करने का कोई तर्क नहीं है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।राज्य पेंशन प्राप्त करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी एस. एस. एस. पी. योजना के पात्र हैं।

8. गोवा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य पेंशन के अनुदान के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को दिसंबर 2002 में उचित जांच के बाद और पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद खारिज कर दिया गया था।गोवा राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा राज्य पेंशन के दावे से संबंधित मूल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए हैं जिसमें वर्ष 2001 में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किया गया आवेदन शामिल है।उक्त आवेदन और निर्णय पर प्राप्त रिपोर्ट, दावे को अस्वीकार करते हुए। रिकॉर्ड में वर्ष 2003 में राज्य पेंशन योजना को फिर से खोलने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 का बाद का आवेदन और बाईस स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की मंजूरी भी शामिल है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम भी शामिल है।

बी.

सी.

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

10. अपील में विचार किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 भारत सरकार की दिनांक 1 की योजना के अनुसार एस. एस. एस. पेंशन के अनुदान का हकदार था और क्या उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की रिट याचिका को अनुमति देने में सही निर्णय लिया था और आगे यह कि क्या सरकारी आदेश दिनांक 1 में निर्धारित कट-ऑफ तिथि कि आवेदक को 2 द्वारा राज्य पेंशन की प्राप्ति होनी चाहिए, एक वैध शर्त है।

डी.

ई.

11. राज्य पेंशन प्रदान करने के लिए गोवा राज्य ने वर्ष 1973 और 1988 में नियम बनाए हैं। गोवा स्वतंत्रता सेनानी कल्याण नियम, 1988 में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन या गोवा की मुक्ति में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने की पात्रता शामिल है। नियम 2 एक परिभाषा खंड है, नियम 2 (1) ने स्वतंत्रता सेनानियों को परिभाषित किया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

एफ.

“2(आई)।“स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन या गोवा की मुक्ति में भाग लेने के कारण नीचे सूचीबद्ध पीड़ाओं से गुजरा हैः

(क) उसे कम से कम 15 दिनों के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थीःया

जी.

(ख) उसे कम से कम 15 दिनों के लिए कारावास का सामना करना पड़ा था (जिसमें विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत शामिल है; या पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में कैदी के रूप में)

(ग) वह कार्रवाई में मारा गया था; या ए

एच.

745

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

((घ) उसे मृत्युदंड दिया गया था; या

(ई) उसकी मृत्यु पुलिस या सैन्य गोलीबारी या लाठी चार्ज या किसी उपकरण से लगने के कारण हुई; या

(च) पुर्तगाली जेल या अभिरक्षा से रिहा होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई बशर्ते कि मृत्यु सीधे तौर पर हिरासत के दौरान उसके साथ हुए दुर्व्यवहार/क्रूरता/यातना के कारण हुई हो या (छ) उसने अपनी नौकरी या आजीविका के साधन या अपनी संपत्ति का पूरा या बड़ा हिस्सा इस तरह की भागीदारी, बर्खास्तगी या सरकारी सेवा/अर्ध-सरकारी संगठन/शैक्षणिक संस्थान से हटाने के कारण खो दिया हो; या

बी.

सी.

(ज) वह कम से कम एक वर्ष के लिए भूमिगत हो गया था, लेकिन अगर उसे पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया था या पुर्तगालियों द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था या पुर्तगालियों द्वारा उसके खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया गया था तो उसे कारावास का सामना नहीं करना पड़ा था; या

डी.

(i) वह मुक्ति आंदोलन में भागीदारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया।

ई.

12. स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है।एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के पैराग्राफ 3 में यह प्रावधान है कि कौन पात्र है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

एफ.

“3. कौन योग्य है?

इस योजना के तहत सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से, एक स्वतंत्रता सेनानी हैः-

(क) एक व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में न्यूनतम छह महीने का कारावास झेलना पड़ा था।हालांकि, पूर्व आई. एन. ए. कर्मी पेंशन के लिए पात्र होंगे यदि उन्हें भारत के बाहर कारावास/निरोध का सामना करना पड़ा था।महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में पेंशन की पात्रता के लिए वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि को 01.08.1980 से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।

जी.

एच.

व्याख्या

1. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत नजरबंदी को कारावास माना जाएगा।

2. एक महीने तक की सामान्य छूट की अवधि को वास्तविक कारावास का हिस्सा माना जाएगा।

बी.

3. दोषसिद्धि में समाप्त होने वाले मुकदमे के मामले में, मुकदमे की अवधि को वास्तविक कारावास के रूप में गिना जाएगा।

4. अर्हता अवधि की गणना के लिए कारावास की टूटी हुई अवधि का योग किया जाएगा।

सी.

(ख) एक व्यक्ति जो छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा, बशर्ते वह थाः

1. एक घोषित अपराधी; या

2. जिसे गिरफ्तारी/प्रमुख के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या

डी.

3. एक जिसके लिए निरोध आदेश जारी किया गया था लेकिन सेवा नहीं दी गई थी।(ग) एक व्यक्ति जिसे अपने घर में नजरबंद किया गया हो या अपने जिले से बाहर रखा गया हो, बशर्ते नजरबंदी/निर्वासन की अवधि छह महीने या उससे अधिक हो।

ई.

(घ) एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क और बेचा गया था।

(ई) एक व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो गया।

एफ.

(च) एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी (केंद्र या राज्य सरकार) खो दी और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए आजीविका का साधन।

मार्टर वह व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हो गई हो या जो कार्रवाई या हिरासत में मारा गया हो या जिसे भारत की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए मृत्युदंड दिया गया हो।इसमें एक पूर्व आई. एन. ए. या पूर्व सैन्य व्यक्ति शामिल होगा जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गया।"

जी.

13. इस प्रकार, एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के तहत पात्रता गोवा नियमों, ए. के तहत पेंशन प्रदान करने की योग्यताओं से पूरी तरह से अलग है।

एच.

747

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

1973 और 1988 में।एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 को देश के मुक्ति संग्राम की मुख्यधारा के अलावा अन्य आंदोलनों में भी लागू किया गया था।एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 का पैराग्राफ 4 "राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलन/विद्रोह क्या हैं" से संबंधित है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव हैः-

"राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ क्या-क्या आंदोलन/मुद्दे जुड़े हुए हैं

बी.

4. मुक्ति संग्राम की मुख्यधारा के अलावा जो आंदोलन/विद्रोह अंग्रेजों (पांडिचेरी के मामले में फ्रांसीसी और गोवा के मामले में पुर्तगाली) के खिलाफ देश की स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के रूप में निर्देशित किए गए थे, उन्हें भी पेंशन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा माना जाता है, जब तक कि किसी भी आंदोलन (आंदोलनों) को विशेष रूप से सम्मान पेंशन देने के लिए योग्य नहीं माना जाता है।15 अगस्त, 1947 के बाद भारतीय संघ के भीतर पूर्ववर्ती रियासतों के विलय के लिए आंदोलन और भारत (उपनिवेशों) में पूर्व फ्रांसीसी और पुर्तगाली कब्जे में स्वतंत्रता संग्राम को योजना के तहत सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा माना जाता है।"

सी.

डी.

14. इस प्रकार, गोवा के मामले में पुर्तगालियों के संबंध में निर्देशित आंदोलनों/विद्रोहों को भी उक्त एस. एस. एस. पी. योजना के दायरे में लाया गया था।इस प्रकार, गोवा के स्वतंत्रता सेनानी, जो एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के अनुसार पात्र थे, भी एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के लिए आवेदन करने के पात्र थे।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं 1982 में ही एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 के अनुदान के लिए आवेदन किया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

ई.

एफ.

15. हालाँकि, गोवा के स्वतंत्रता सेनानी, जो एसएसएसपी योजना, 1980 के तहत शर्तों को पूरा करते हैं, पेंशन के अनुदान के लिए पात्र थे, गोवा मुक्ति आंदोलन के सभी प्रतिभागियों को पेंशन देने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, विशेष रूप से उन लोगों को, जिन्होंने आंदोलन के दूसरे चरण (1954-55) में भाग लिया था, जो गृह मंत्रालय द्वारा जांच के दायरे में था।महाराष्ट्र/राजस्थान/हरियाणा/गोवा/मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को लिखे गए दिनांकित पत्र में उपरोक्त तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

जी.

एच.

“No.8/10/99-FF (P)

भारत सरकार/भारत सरकार गृह मंत्रालय/गिर

मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग

****

बी.

लोक नायक भवन, खान मार्केट,

तारीख, नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2002।

को।

सी.

मुख्य सचिव,

महाराष्ट्र/राजस्थान/हरियाणा/गोवा/मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सरकार।

विषयः- "स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के तहत गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का अनुदान

डी.

******

महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि गोवा मुक्ति आंदोलन के जिन प्रतिभागियों ने "स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के पात्रता मानदंडों को पूरा किया है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृत की गई है।हालाँकि, गोवा मुक्ति आंदोलन के सभी प्रतिभागियों को विशेष रूप से आंदोलन के दूसरे चरण (1954-55) में भाग लेने वालों को पेंशन देने के लिए वी. आई. पी. सहित विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं।यह मुद्दा काफी लंबे समय से इस मंत्रालय की जांच के दायरे में है।

ई.

एफ.

2. आपको पता होगा कि आंदोलन का दूसरा चरण 1954-55 में आयोजित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली सैन्य अधिकारियों ने कुछ समूह के नेताओं सहित विभिन्न सत्याग्रहियों को गोली मार दी और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को शारीरिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में वापस धकेल दिया गया।इस प्रकार, इस आंदोलन के प्रतिभागियों को कभी भी पुर्तगाली

सरकार और/या मार्शल लॉ न्यायालय द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, मुकदमा नहीं चलाया गया और दंडित नहीं किया गया, बल्कि शारीरिक रूप से गोवा से बाहर फेंक दिया गया। कोई प्रमाणित ए नहीं है

जी.

एच.

749

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

रिकॉर्ड करें कि कितने सत्याग्रहियों को मुख्य रूप से वापस फेंक दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।मरने वाले प्रतिभागियों की पीड़ा के किसी भी रिकॉर्ड के अभाव में, उन्हें एफ. एफ. पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी क्योंकि वे योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

3. गृह मंत्रालय विचार कर रहा है कि गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण II (1954-55) के स्वतंत्रता सेनानियों को "एसएसएसपी योजना, 1980" के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों में ढील दी जा सकती है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पहले ही 1.8.2002 द्वारा पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।इस प्रस्ताव की आगे जांच करने के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रमाणित सूची (उनके नाम, पिता का नाम, पते और राज्य सरकार द्वारा पेंशन की मंजूरी की तारीख का विवरण दर्शाते हुए) जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को मंजूरी दी गई है, उन्हें तत्काल गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग) को भेजा जा सकता है ताकि प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जा सके।आपकी वफादारी से,

बी.

सी.

डी.

(अब्दुल राशिद) भारत सरकार के उप सचिव "16. केंद्र सरकार ने विभिन्न वर्गों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों के लिए एसएसएसपी योजना, 1980 का विस्तार करने का निर्णय लिया।

ई.

17. एस. एस. एस. पी. योजना को सरकारी आदेश दिनांक 17.02.2003 द्वारा गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-2 (1954-55) के प्रतिभागियों के लिए उसमें निहित शर्तों में ढील देकर बढ़ाया गया है।योजना का अनुच्छेद 1 इस प्रकार हैः-

एफ.

“1. मुझे उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के 16/19 अगस्त, 2002 के सम संख्या के पत्र का उल्लेख करने और आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि अब गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण (1954-55) के प्रतिभागियों को केंद्रीय पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पात्रता मानदंडों में ढील देते हुए राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2002 तक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है।”18. दिनांक 1 की योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय पेंशन गोवा के दूसरे चरण के प्रतिभागियों को दी जानी है

जी.

एच.

मुक्ति आंदोलन जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 01.08.2002 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की गई है।क्या योजना में निर्धारित 01.08.2002 की कट-ऑफ तिथि की शर्त का कोई तर्क है या उक्त तिथि मनमाना है और ऐसी शर्त को पूरा नहीं करने के बावजूद, प्रत्यर्थी पेंशन देने का हकदार है, इन मुख्य प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए।

बी.

19. हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने कोई जवाब दायर नहीं किया था और न ही राज्य पेंशन की प्राप्ति में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की पात्रता को प्रतिबंधित करने के लिए कोई औचित्य दिया था।अपीलार्थी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया, उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां तक रिट याचिकाओं के कथनों और प्रार्थनाओं का संबंध है, कोई विशिष्ट इनकार नहीं है और न ही प्रत्यर्थी द्वारा जवाब दायर किया गया है, इसलिए, याची द्वारा उठाई गई दलीलों और आधार को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

सी.

20. जब इस मामले की सुनवाई इस पीठ द्वारा की जा रही थी, तो अपीलार्थी के वकील से सवाल किया गया था कि कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 तय करने का क्या तर्क है।दिनांक

19.11.2019 के आदेश द्वारा, पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त हलफनामे दायर करने की अनुमति दी गई थी और इसके बाद अपीलार्थी ने 03.12.2019 पर अतिरिक्त हलफनामा दायर किया था।21. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उप-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के नोट्स को रिकॉर्ड में लाया है, जिसमें कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 तय की गई थी।नोट में गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों की सूची का विवरण है।महाराष्ट्र सरकार ने 1716 स्वतंत्रता सेनानियों की सूची संलग्न की थी, राजस्थान सरकार ने 24 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की थी।यह देखा गया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा राज्य से पात्र स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या लगभग 3,500 हो सकती है।यह देखा गया कि योजना को खुला नहीं रखा जा सकता है और केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करने के लिए तारीख तय की गई है जो एसएसएसपी योजना के तहत छूट के लिए पात्र हैं जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन (1954-55) के दूसरे चरण में भाग लिया था और जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित तिथि से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी थी जैसे कि 01.08.2002।टिप्पणी के पैराग्राफ 3,4 और 5 का उल्लेख करना उपयोगी है:-

डी.

ई.

एफ.

जी.

“3. माननीय Dy.PM ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रो.मधु धंडवते, श्री राम नाइक, श्री ए.

एच.

751

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

शरद पवार ने गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले की पैरवी की थी और यह मामला दो साल से अधिक समय से लंबित था।दादरा और नगर हवेली के स्वतंत्रता सेनानियों को जिस आधार पर छूट दी गई थी, उसी आधार पर पात्रता मानदंडों में ढील देते हुए उन्हें एस. एस. एस. पेंशन योजना का लाभ देने में योग्यता थी।हमारी इस आशंका की सराहना करते हुए कि अगर योजना को खुला रखा जाता है, तो हम अधिक से अधिक आवेदनों से भर सकते हैं, आईडी2 का विचार था कि हम एक तारीख तय कर सकते हैं और केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कर सकते हैं जो एसएसएस पेंशन योजना के तहत छूट के लिए

पात्र हैं जिन्होंने आईडी3 में गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण में भाग लिया था और जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले ही आईडी1 जैसी निर्धारित तिथि से पहले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को मंजूरी दी जा चुकी थी।

बी.

सी.

4. जब प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रो.ढांडवटे ने Dy.PM से मुलाकात की और FR के रूप में प्रतिनिधित्व सौंपा, Dy.PM ने उनसे पूछा कि योजना के तहत छूट प्रदान किए जाने की स्थिति में कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए पात्र होंगे।प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया कि लगभग 3500 स्वतंत्रता सेनानी होंगे जो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गोवा राज्यों से पात्र हो सकते हैं। इस आंकड़े में कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानियों (2225) को शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई थी, लेकिन जिनकी पेंशन को बाद में 1995 में कर्नाटक सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।

डी.

ई.

5. चर्चा के बाद, Dy.PM ने इच्छा व्यक्त की कि हम निम्नानुसार कार्रवाई कर सकते हैंः-

एफ.

(i) गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण II (1954-55) के स्वतंत्रता सेनानियों को SSS पेंशन योजना, 1980 के तहत छूट प्रदान करें, जिन्हें पहले ही महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गोवा की राज्य सरकारों द्वारा 01.08.2002 द्वारा पेंशन स्वीकृत की जा चुकी थी।((ii) हम संबंधित राज्य सरकारों को ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तुरंत भेजने के लिए लिख सकते हैं, हालांकि, ऐसी सूचियां उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहां स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन वास्तव में राज्य सरकार द्वारा 01.08.2002 द्वारा स्वीकृत की गई थी।

जी.

एच.

(iii) इस छूट के लिए पात्र स्वतंत्रता सेनानियों की अनुमानित संख्या 3500 है।एस. एस. एस. पेंशन के अनुदान के लिए पात्रता मानदंड राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का अनुदान होगा क्योंकि उन्होंने वर्षों के दौरान गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था।"22. इसके बाद, मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दी और योजना दिनांक 17.02.2003 भारत सरकार द्वारा जारी की गई जिसमें कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 को शामिल किया गया।

बी.

23. अभिलेख पर लाई गई सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने कट-ऑफ तिथि के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-II के प्रतिभागियों को एसएसएसपी योजना का लाभ देने के लिए कट-ऑफ तिथि जानबूझकर तय की गई थी। एसएसएसपी योजना, 1980 के तहत पात्रता गोवा नियमों के तहत राज्य पेंशन की पात्रता से पूरी तरह से अलग है।गोवा को 1961 में आजाद कराया गया था।राज्य ने शुरू में 1973 में और उसके बाद 1988 में नियम बनाए हैं।स्वतंत्रता सेनानियों को कम से कम 1973 के बाद उपरोक्त गोवा नियमों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।गोवा मुक्ति, चरण-II के प्रतिभागियों के लिए एस. एस. एस. पी. योजना के विस्तार के प्रश्न पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 से विचार किया जा रहा था और अंततः इसे योजना दिनांक 17.02.2003 द्वारा बढ़ाया गया था।गोवा मुक्ति के लिए चालीस से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और गोवा राज्य द्वारा पेंशन की मंजूरी के लिए 30 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 को एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 के अनुदान के लिए शर्तों में ढील देकर गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-II तक विस्तारित किया गया था।जब योजना में छूट में कोई लाभ दिया जाता है, तो सरकार पात्रता के लिए शर्तें रख सकती है।

सी.

डी.

ई.

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि कट-ऑफ तिथि के साथ योजना को बढ़ाने का एक तर्क है।प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण यह है कि कट-ऑफ तिथि अर्थात 01.08.2002 के निर्धारण में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था।प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब एसएसएस पेंशन योजना का उद्देश्य गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का लाभ देना है, तो स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें 01.08.2002 द्वारा राज्य पेंशन दी गई थी और जिन्हें 01.08.2002 के बाद पेंशन दी गई थी, के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।तर्क को विस्तार से बताते हुए, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कट-ऑफ तिथि में मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए होने के कारण

एफ.

जी.

एच.

753

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

कोई बोधगम्य अंतर नहीं और प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण, कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 स्पष्ट रूप से मनमाना थी और इसे रद्द किया जा सकता था।

25. हम पहले ही देख चुके हैं कि एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के तहत आवेदन करने की योग्यता प्रदान की गई है। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को भी शामिल किया गया था और जो लोग उसमें शर्तों को पूरा करते हैं, वे पेंशन देने के हकदार थे।वर्तमान मामले में, हम एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 से संबंधित हैं।इस योजना का उद्देश्य योजना, 1980 के तहत पेंशन को मंजूरी देना था, जो योजना के अनुसार योग्यताओं को पूरा करते हैं।राज्य पेंशन जिसके लिए गोवा राज्य सहित विभिन्न राज्यों द्वारा योजना और नियम बनाए गए हैं, अलग-अलग पात्रताओं पर थे और केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति पात्र है या राज्य पेंशन का हकदार है, वास्तव में उसे एसएसएसपी योजना, 1980 के लिए पात्र नहीं बनाता है।एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 का उद्देश्य उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था, जो उस पात्रता को पूरा करते हैं जिसे योजना के तहत गोवा मुक्ति आंदोलन को भी शामिल करने में स्पष्ट रूप से पूरा किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों, विशेष रूप से आंदोलन के दूसरे चरण (1954-55) में भाग लेने वालों के लिए एसएसएसपी योजना, 1980 का विस्तार करने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।केंद्र सरकार ने एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के तहत पात्रता की शर्तों में ढील देने का फैसला किया और योजना में ढील देते हुए गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रतिभागियों को योग्य बनाने के लिए कट-ऑफ तिथि (आई. डी. 2) तय की गई।हम पहले ही कट-ऑफ तिथि तय करने के तर्क पर ध्यान दे चुके हैं, जिसे उचित विचार-विमर्श और प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद तय किया गया था।26. प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण यह है कि कट-ऑफ तिथि 01.08.2002 तय करके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था।जैसा कि ऊपर देखा गया है, एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 का उद्देश्य उन लोगों को केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था जो उक्त योजना के तहत पात्र थे।गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को पहले से ही योजना, 1980 में शामिल किया गया था, जो उक्त योजना के अनुसार पात्र थे।इस प्रकार, गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में, योजना, 1980 ने उन्हें शामिल किया और

इसका उद्देश्य केवल गोवा मुक्ति आंदोलन के उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान करना था, जिन्होंने एसएसएसपी योजना, 1980 की पात्रता को पूरा किया था।जब योजना में ढील दी गई और गोवा मुक्ति आंदोलन के दूसरे चरण के प्रतिभागियों को विस्तार दिया गया, तो एस. एस. एस. पी. योजना में दी गई पात्रता में छूट दी गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1980 इस शर्त के साथ कि जो लोग 01.08.2002 द्वारा राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।यह योजना एक मुक्त योजना नहीं थी और एक विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दी गई थी, जिन्हें 01.08.2002 द्वारा राज्य पेंशन प्राप्त हो रही थी। 17.02.2003 दिनांकित आदेश द्वारा दी गई छूट को केंद्र सरकार का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है।एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के तहत उद्देश्य हमेशा से और अभी भी उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करना है जो एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 की पात्रता को पूरा करते हैं।प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 का उद्देश्य उन सभी को केंद्रीय पेंशन प्रदान करना था, जिन्हें राज्य पेंशन की प्राप्ति हो रही है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 में एक सीमित श्रेणी के लिए ढील देने से, मुख्य योजना का उद्देश्य समाप्त नहीं होगा और न ही जो लोग ढील की शर्तों के दायरे में नहीं आते हैं, वे एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के अनुदान के अधिकार का दावा कर सकते हैं।इस प्रकार, हमारा विचार है कि 17.02.2003 दिनांकित योजना में बोधगम्य अंतर है और वस्तु के साथ संबंध भी है।जब एक सीमित श्रेणी को छूट दी जाती है, तो अन्य, जो योजना के दायरे में नहीं आते हैं, वे समानता के अधिकार के किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते हैं।समानता के अधिकार का दावा केवल उन्हीं लोगों द्वारा

किया जा सकता है जो एस. एस. एस. पी. योजना, 1980 के तहत योग्यताओं को पूरा करते हैं।

बी.

सी.

डी.

27. प्रत्यर्थी संख्या 1 के वकील द्वारा आगे जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि जब राज्य ने अंततः स्वीकार कर लिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 राज्य पेंशन का हकदार था, हालांकि, वर्ष 2008 में, उसे लाभ से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राज्य पेंशन के अनुदान के लिए बहुत पहले आवेदन किया था और यदि राज्य ने इसे पहले गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया था, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है।

ई.

28. हमने सावधानीपूर्वक जाँच की है और अपने सामने की सामग्री के साथ-साथ मूल अभिलेखों को भी देखा है।वर्ष 2008 में प्रत्यर्थी संख्या 1 को पेंशन के बाद के अनुदान में, कोई संदर्भ या दावा नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे की पहले अस्वीकृति अनुचित थी या गलत थी।इस योजना को वर्ष 2003 में गोवा राज्य द्वारा फिर से खोला गया था और योजना को फिर से खोलने के जवाब में, आवेदन प्राप्त हुए थे और प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वीकृत डब्ल्यू. ई. एफ. 01.12.2007 के दावे की जांच के बाद।01.12.2007 से प्रत्यर्थी को दी गई योजना की मंजूरी का मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि उसे उस तारीख से मंजूरी दी गई थी जब उसका पहले का आवेदन खारिज कर दिया गया था या उस तारीख से, जब उसने आवेदन किया था।

एफ.

जी.

एच.

755

भारत सरकार और ओ. आर. एस.सिताकांत एस. दुभाशी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

29. उच्च न्यायालय ने निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है

इस न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1993) उप.3 एस. सी. सी 2.उपरोक्त मामले में, एक

एस. एस. एस. पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आधार यह था कि याची ने योजना में निर्दिष्ट आवेदन करने की तारीख समाप्त होने के बाद आवेदन किया था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दावा आमंत्रित करने की निर्धारित तिथि एक कठोर समय सीमा की तुलना में प्रशासनिक सुविधा का अधिक मामला था।निर्णय के पैराग्राफ 7 में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः-

बी.

“7. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ताओं ने उस ओर से निर्धारित तिथि के बाद अपने आवेदन दायर किए थे, हमें डर है कि सरकार का रुख उचित नहीं है।यह आम जानकारी है कि जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या पूर्ववर्ती निजाम राज्य में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, वे पूरे देश में बिखरे हुए हैं और उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज के हिस्सों में भी रह रहे होंगे।इसके अलावा, अगर वे जीवित हैं तो उनमें से लगभग सभी अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे।जहाँ स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं हैं और उनकी विधवाओं और अविवाहित बेटियों को दावों को प्राथमिकता देनी है, वहाँ निर्धारित तिथि के बारे में उनकी जानकारी के संबंध में स्थिति और भी खराब हो सकती है।इसके अलावा, यदि यह योजना उन लोगों की सहायता और सम्मान करने की वास्तविक इच्छा के साथ शुरू की गई है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा दिया है, तो ऐसे दावों के खिलाफ सीमा की याचिकाएं उठाना सरकार के लिए अनुचित है।वास्तव में, यदि उनके लिए ऐसा करना संभव है, तो सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों या उनके आश्रितों का पता लगाना चाहिए और उनके लिए आवेदन करने के बजाय पेंशन के साथ उनसे संपर्क करना चाहिए।ऐसी योजनाओं पर काम करने की सच्ची भावना यही होगी।इस योजना के उद्देश्य के अनुसार 1985 में इसका नाम बदलकर स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया है।इसलिए हम सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि दावेदार केवल तभी योजना के लाभ के हकदार होंगे जब उन्होंने किसी विशेष तिथि से पहले आवेदन किए हों, इसके बावजूद कि वास्तव में, उन्होंने कारावास झेला था और बलिदान दिए थे और इस प्रकार वे लाभ प्राप्त करने के लिए अन्यथा योग्य थे।इसलिए, हमारा विचार है कि दावेदार जो भी तारीख करें

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आवेदनों का लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।दावों को आमंत्रित करने वाली किसी भी पूर्व या भविष्य की सूचना में निर्धारित तिथि को एक कठोर समय-सीमा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के रूप में अधिक माना जाना चाहिए।"

30. योजना में आवेदन करने की तिथि, जैसा कि उपरोक्त मामले में स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन पर विचार करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक कठोर नियम नहीं हो सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने मुकुंद लाल भंडारी के मामले में सही ठहराया है, लेकिन वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां एस. एस. एस. पी. योजना को योजना के तहत विचार के लिए एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित करके गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण-II में योजना में ढील देकर बढ़ाया गया है, जो एस. एस. एस. पेंशन देने की शर्त है।इस प्रकार मुकुंद लाल भंडारी में निर्णय अलग है और वर्तमान मामले के तथ्यों में सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता है।

बी.

सी.

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी जवाब दाखिल नहीं कर सका और प्रासंगिक तथ्यों और सामग्रियों को नहीं ला सका।अपीलार्थी को सावधानी बरतनी चाहिए थी और उच्च न्यायालय के समक्ष उसके विचार के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने पर, प्रासंगिक सामग्री को अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है, जिन सामग्री का हमने अध्ययन किया है।अभिलेख पर लाई गई प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए अपील पर निर्णय लिया जा रहा है।

डी.

32. इस प्रकार हमारा विचार है कि एस. एस. एस. पी. योजना के अनुदान के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं थी जैसा कि दिनांक 16.11.2009 और 13.11.2014 के संचार पत्रों द्वारा सूचित किया गया था।सरकारी योजना दिनांक 17.02.2003 भी किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं थी।

ई.

33. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।प्रत्यर्थी संख्या 1 की रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

एफ.

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.